न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

(रामरतन सौंकरिया, आर.ए.एस. द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 04/2015
जीसीएमएस नं. 146/2015
प्रविष्टि दिनांकः– 14.03.2015

सचिव ग्राम पंचायत हिसामपुर पंचायत समिति देवली जिला टोंक

.....निगरानीकर्ता

बनाम

1. बद्रीलाल पुत्र रूघनाथ जाति नाई निवासी हिसामपुर तह. देवली जिला टोंक
2. पंचायत हिसामपुर पंचायत समिति देवली जरिए सरपंच

.....गैर निगरानीकर्ता (प्रतिवादीगण)

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 विरूद्ध पट्टा (आबादी भूमि का विकय–विलेख) दिनांक 05.08.2006 बहक प्रतिवादी नं. 1 द्वारा ग्राम पंचायत हिसामपुर

उपस्थितः (1) श्री प्रेमचन्द जैन, अभिभाषक निगरानीकर्ता
गैर निगरानीकर्ता अनु.।

निर्णय

दिनांक 17/4/26

संक्षेप में निगरानी का सार इस प्रकार हैं कि दिनांक 05.08.2006 को ग्राम पंचायत हिसामपुर द्वारा प्रतिवादी नं. 1 बद्रीलाल पुत्र रूघनाथ जाति नाई के हक में पट्टा (आबादी भूमि का विकय–विलेख) जारी किया गया जिसे विधि–विधान एवं तथ्यों के विपरित बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु यह निगरानी सचिव ग्राम पंचायत हिसामपुर द्वारा पेश की गई है।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर निगरानीकर्ता को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत से पट्टे संबंधित पत्रावली तलब की गई। गैर निगरानीकर्ता अनुपस्थित रहे।

अभिभाषक निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 परिसीमा अधिनियम पर अभिभाषक की बहस सुनी गई। न्यायहित में प्रार्थना पत्र दफा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार कर मूल निगरानी में निगरानीकर्ता को सुना गया।

अभिभाषक निगरानीकर्ता ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत हिसामपुर द्वारा जारी पट्टा बहक प्रतिवादी नं. 1 दिनांक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

05.08.2006 विधि–विधान एवं वास्तविक तथ्यों के विपरित होने से चलने योग्य नहीं है, निरस्त करने योग्य है। विवादित भूखण्ड का ग्राम पंचायत हिसामपुर द्वारा दिनांक 21.08.1961 को रूघनाथ पुत्र लाला नाई निवासी हिसामपुर के हक में 116 वर्गगज ग्राम हिसामपुर में जारी किया गया था। उसी भूखण्ड का पुनः नया पट्टा जारी कर ग्राम पंचायत ने अपने अधिकार का दुरूपयोग किया है ऐसा पट्टा अवैध एवं शून्य है।

ग्राम पंचायत ने एक बार सन् 1961 में ही इस भूखण्ड का पट्टा जारी कर रखा था तो पुनः उसी भूखण्ड पर पट्टा देने के लिए प्रस्ताव नहीं लिया जा सकता था। न ही ऐसे गैर कानूनी प्रस्ताव के आधार पर नया पट्टा जारी हो सकता है। उक्त पट्टा दिनांक 05.08.2006 अवैधानिक एवं राज. पंचायत एक्ट के प्रावधानों के सर्वथा विपरित है।

उक्त अवैधानिक पट्टे के बारे में माननीय राज्य सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जिला परिषद आदि में शिकायत पेश की गई थी जिन्होंने भी दिनांक 05.08.2006 को जारी किये गये उक्त पट्टे को गलत मानकर निरस्त करवाने की कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये है।

उक्त पट्टा प्रथम दृष्टया ही कानूनी प्रावधानों के खिलाफ है जिसको निरस्त करवाने के लिए निगरानी करने की कोई मियाद नहीं है क्योंकि पट्टा अवैध व फर्जी बनाया गया है। अतः निगरानी पेश कर निवेदन हैं कि ग्राम पंचायत हिसामपुर द्वारा जारी पट्टा दिनांक 05.08.2006 बहक प्रतिवादी नं. 1 खारिज किया जावें।

प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहे।

हमने अभिभाषक निगरानीकर्ता की बहस को सुना एवं मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, पट्टा पत्रावली का आद्योपान्त अध्ययन किया। पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट होता हैं कि निगरानीकर्ता सचिव ग्राम पंचायत हिसामपुर द्वारा दिनांक 05.08.2006 को ग्राम पंचायत हिसामपुर द्वारा प्रतिवादी नं. 1 बद्रीलाल पुत्र रूघनाथ जाति नाई के हक में जारी पट्टा (आबादी भूमि का विक्रय–विलेख) को विधि विधान एवं तथ्यों के अनुकूल बताते हुए निरस्त किए जाने हेतु यह निगरानी पेश की है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि विवादित भूखण्ड का ग्राम पंचायत हिसामपुर द्वारा दिनांक 21.08.1961 को रूघनाथ पुत्र लाला नाई निवासी हिसामपुर के हक में 116 वर्गगज ग्राम हिसामपुर में जारी किया गया था। उसी भूखण्ड का पुनः नया पट्टा जारी कर ग्राम पंचायत ने अपने अधिकार का दुरूपयोग किया है।

ग्राम पंचायत ने एक बार सन् 1961 में ही इस भूखण्ड का पट्टा जारी कर रखा था तो पुनः उसी भूखण्ड पर पट्टा देने के लिए प्रस्ताव नहीं लिया जा सकता था और न ही

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
डीग

ऐसे गैर कानूनी प्रस्ताव के आधार पर नया पट्टा जारी हो सकता है। उक्त पट्टा दिनांक 05.08.2006 अवैधानिक एवं राज. पंचायत एक्ट के प्रावधानों के सर्वथा विपरित है।

उक्त अवैधानिक पट्टे के बारे में राज्य सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग एवं जिला परिषद आदि में शिकायत पेश की गई थी जिन्होंने भी दिनांक 05.08.2006 को जारी किये गये उक्त पट्टे को गलत मानकर निरस्त करवाने की कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये जा चुके है।

उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचन से स्पष्ट हैं कि दिनांक 05.08.2006 को ग्राम पंचायत हिसामपुर द्वारा प्रतिवादी नं. 1 बद्रीलाल पुत्र रूघनाथ जाति नाई के हक में जारी किया गया पट्टा (आबादी भूमि का विक्रय–विलेख) विधि–विधान एवं नियमों के विरूद्ध है।

फलतः निगरानी निगरानीकर्ता स्वीकार कर ग्राम पंचायत द्वारा बद्रीलाल पुत्र रूघनाथ जाति नाई को जारी पट्टा दिनांक 05.08.2006 खारिज किया जाता है।

दिनांक 17/4/26 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सांकरिया)
अति० जिला कलक्टर
टोंक